ISSN: 0973-0583

भगवान बुद्ध एवं भिक्षुणी संघ

नादिरा अशरफ
शोध छात्रा, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
प्रो० माला सिंह
शोध पर्यवेक्षक, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

सारांश

भगवान बुद्ध के द्वारा स्त्रियों के संघ में प्रवेश की अनुमति एक युगांतकारी घटना थी। भगवान बुद्ध स्त्रियों को संघ में ऐतिहासिक प्रवज्या देकर शिक्षा के अधिकार की दृष्टि से उनके ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी बने थे। उन्होंने एक ऐसे समय में महिलाओं को अध्यात्म का रास्ता बताया जब समाज में महिलाओं की भूमिका काफी सीमित एवं निम्न स्तर की थी। विश्व की रचना एवं प्रगति में महिलाओं को भागी मानने के बजाय पुरुषों ने उन्हें बाधक के रूप में देखा। समाज में कभी मानवीय तो कभी अमानवीय दृष्टि से देखा गया। इसका प्रभाव स्त्री की शिक्षा, विवाह, परिवार, सम्पत्ति की सत्ता संबंधित अधिकारों पर पड़ा। इन अधिकारों के प्रकाश में किसी भी समाज में स्त्री की सामान्य स्थिति को परखा जा सकता है लेकिन समाज में स्त्री का स्थान एवं स्वरूप जानने के लिए उसके दीर्घ जीवन परम्पराओं को देखना जरूरी है और इसके लिए सभी उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, दस्तावेजों एवं बौद्ध साहित्यिक रचनाओं को ही आधार माना जा सकता है। थेरीगाथा व सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य इसी क्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है।वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और वेदों में उनके प्रति व्यक्त विचारों को देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना उस युग की एक महान क्रान्ति थी। ऋग्वेद में स्त्रियों के मन को भेड़िए के समान कहा गया है तथा उनकी मैत्री झूठी कही गई है।[1] उन्हें बुद्धिहीन[2] और नीच[3] कहा गया। बुद्ध के पहले जैन धर्म स्थापित हो चुका था। जैनों के योगशास्त्र के अनुसार स्त्रियाँ नरक की ओर जलने वाले प्रदीप हैं।

चुल्लवग्ग के अनुसार स्त्रियों के भिक्षुणी बनने का एवं संघ में प्रवेश का विचार सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी के मन में आया और उन्होंने इस इच्छा को बुद्ध के समक्ष व्यक्त किया। भंते, अच्छा होता यदि स्त्रियों को भी प्रवज्या प्राप्त होती इससे घर से बेघर हुई स्त्रियों को तथागत के दिखाए धम्म विनय मार्ग पर चलने का मौका मिलता।[4] तथागत ने गौतमी की इस प्रार्थना को तीन बार अस्वीकार कर दिया। गौतमी दुखी होकर रोती हुई तथागत का अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहाँ से चली गई। कुछ ही दिन के बाद प्रजापति गौतमी अपने केश काटकर कासाय वस्त्र पहनकर तथागत के पास पहुँची उस समय बुद्ध वैशाली में थे। गौतमी की इस हालत को देखकर आनंद दुखी हो गए और प्रजापति गौतमी से पूछा इस हालत में आप क्यों खड़ी हैं? तब गौतमी ने कहा कि वह तथागत प्रवर्तित धम्म विनय में घर द्वार छोड़कर प्रवर्जित होना चाहती है, परन्तु तथागत इसकी अनुमति नहीं देते।[5] तब आनंद गौतमी को वहीं ठहरा कर गए और गौतमी एवं अन्य स्त्रियों को बुद्ध धम्म में प्रवज्या देने की सिफारिश की। आनंद ने कहा–तथागत! स्त्रियाँ भी तथागत द्वारा प्रतिपादित धम्म को समझ सकती है। वे भी अर्हत्व–पद को पा सकती हैं। भंते, स्त्रियाँ अभिभावक, पालन–पोषण करने वाली होती हैं। वे उपकार करने वाली हैं। प्रजापति गौतमी जो आपकी मौसी हैं, आपकी जननी की मृत्यु के उपरांत आपको दूध पिलाया है। इसलिए भंते, स्त्रियों को प्रवज्या मिले।[6] इसके बाद तथागत बुद्ध आनंद से बोले, प्रजापति गौतमी आठ गुरु धर्मों को स्वीकार कर प्रवर्जित हो सकती हैं। इस प्रकार भिक्खुनी पर आठ कठोर गुरु धर्म पालन करने के पश्चात् उन्हें संघ में प्रवेश का अधिकार मिल गया। इस प्रकार गौतमी की उपसंपदा से भिक्षुणी संघ अस्तित्व में आया। विनयपिटक में यह भी उल्लेख है कि भिक्खुनी संघ का निर्माण हो जाने के पश्चात तथागत ने बहुत ही भारी मन से आनंद को यह बात कही थी– आनंद यदि धम्म विनय में स्त्रियाँ प्रवज्या न पातीं तो यह विशुद्ध चर्या चिरस्थायी होती, सन्दर्भ हजारों वर्ष ठहरता। लेकिन स्त्रियाँ प्रवर्जित हुई। अब यह विशुद्ध चर्या चिरस्थायी न होगी। सन्दर्भ 500 वर्ष ही ठहरेगा। आनंद!

जिस धम्म विनय में स्त्रियाँ प्रवज्या पाती है वह विसुद्ध चर्या स्थायी नहीं होती।[7]

महाप्रजापति गौतमी एवं अन्य शाक्य वंशी नारियों द्वारा सर्वप्रथम प्रवज्या ग्रहण की गयी तब उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि वे बुद्ध की शरण में आना चाहती थी। परवर्ती काल में भी स्त्रियों के संघ में शामिल होने का एकमात्र कारण उनका बौद्धिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति ही थी। इस दृष्टि कोण से देखा जाय तो स्त्रियों एवं पुरुषों का संघ में आगमन का उद्देश्य लगभग एक ही था। अत: समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जब स्त्री-पुरुषों ने संघ में प्रवेश किया तो निश्चित ही उनकी स्थिति समान ही होनी चाहिए थी। सिद्धांत: ऐसा ही था, महाविहारों में भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों की जीवन-चर्चा एवं रहन सहन लगभग समान ही था और दोनों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों में एकरूपता थी। लेकिन व्यवहारत: भिक्षुणियों की स्थिति भिक्षुओं की तुलना में निम्नतर थी। वह बिना आज्ञा के भिक्षुओं के सामने बैठ नहीं सकती थी, न ही विनय अभिधम्म अथवा सुत्त पर भिक्षुओं के समक्ष वाद-विवाद कर सकती थी।[8] इसके अलावे भिक्षुणियों को आठ गुरु धम्मों का परिपालन करना पड़ता था, जो उनकी भिक्षुओं से निम्न स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये आठ नियम निम्नवत थे[9]-

1. सौ वर्ष की उपसंपदा पाई हुई भिक्खुनी को भी उसी दिन के संपन्न भिक्खु का अभिवादन हाथ जोड़ कर करना चाहिए।
2. जहाँ भिक्खु न हो ऐसे स्थान पर वस्सावास नहीं करना चाहिए।
3. प्रति आधो मास भिक्खुनी को भिक्खुसंघ से धम्म चर्चा करनी चाहिए।
4. वस्सावास कर चुकने पर भिक्खुनी को दोनों संघों में से देखे, सुने, जाने तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए।
5. जिस भिक्खुनी ने गुरुधर्मों को स्वीकार कर लिया है, उसे दोनों संघों को मानना चाहिए।
6. भिक्खुनी संघ को किसी प्रकार की गाली आदि न दे।
7. भिक्खुनियों के लिए भिक्खुओं को कुछ भी कहने का रास्ता बंद है। भिक्खुनी को भिक्खु से अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए।
8. भिक्खुओं का भिक्खुनियों को कहने का रास्ता खुला है। अर्थात् भिक्खुओं को उन्हें उपदेश करने का अधिकार है।

उपर्युक्त प्रसंग में भिक्खुनी संघ की स्थापना के संबंध में जो बात कही गई है उसमें पुरुष प्रधानता का भाव परिलक्षित होता है। कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रसंग बाद में जोड़ दिया गया है। त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार विनयपिटक का सबसे अधिक प्रमाणिक अंश भिक्खु- भिक्खुनी पातिमोक्ख है। इसका अर्थ है कि राहुल सांकृत्यायन भी आठ गुरु धर्मों को प्रमाणिक नहीं मानते। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान बुद्ध स्त्री पुरुष में भेद को अथवा स्त्री को पुरुष की दासी के रूप में रहने के लिए विवश करें। बुद्ध तो समतावादी लिंगभेद विरोधी समदर्शी और महान मानववादी थे जिन्होंने सभी वर्गों की स्त्रियों को दीक्षा देकर उन्हें ध र्मोपदेश बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। थेरीगाथा इसका प्रबल प्रमाण है।

थेरीगाथा में भिक्षुणियों के जीवनानुभव और उनके द्वारा व्यक्त उद्‌गार समाहित हैं। भिक्षुणियों ने थेरीगाथा में कहा है कि मैं बुद्ध की कन्या हूँ, बुद्ध की पुत्री हूँ।[10] भिक्षुणियों के द्वारा अपना संबंध बुद्ध के साथ प्रदर्शित करना बुद्ध का स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं अनुकम्पा दर्शाता है। जो नारी पुरुष प्रधान समाज में किसी भी प्रकार के अधिकार की अधिकारिणी नहीं थी उसको सभी प्रकार के अधिकारों की अधिकारिणी बनाना उनको ज्ञान प्राप्त करने की,ज्ञान का उपदेश देने की और निर्वाण प्राप्त करने की अधिकारिणी घोषित करना एक क्रांतिकारी परिवर्तन था।

थेरीगाथा की सभी भिक्खुनी भगवान बुद्ध से प्रेरित थी। नारी जाति के प्रति यह तथागत की अनुकम्पा ही कहनी होगी कि उन्हें भी पुरुषों की भाँति निर्माण का अधिकार मिला। भिक्खुनी संघ में विभिन्न जाति-कूल की सभी स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश का अधिकार मिला। भिक्खुनी संघ में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो इसके लिए उन्होंने प्रजापति गौतमी और यशोधरा जैसी महारानियों और प्रकृति जैसी मेहतरानियों को संघ में प्रवज्या देकर उन्हें एक पंक्ति में बिठा दिया इसमें राजवंश और ब्राह्मणकूल की महिलाओं से लेकर दासी, गणिका तथा सुनार, बहेलिया, किसान, कर्मकार चाण्डाल आदि कूल की महिलाएँ शामिल हैं। नारी जाति के प्रति इतनी असीम अनुकम्पा और बेमिसाल समतावादी बुद्ध के विचार किसी अन्य धर्म ग्रन्थ में नहीं मिलते।

बुद्ध नारी जाति की समानता के लिए विश्व के पहले समर्पित महामानव थे जिन्होंने भिक्खुनी संघ की स्थापना कर स्त्री-पुरुष के भेदभाव को मिटाया जो अधिकार पुरुषों के हैं वे स्त्रियों के भी होने चाहिए ऐसी अवधारणा का सूत्रपात बुद्ध ने ही किया जिसका प्रबल प्रमाण है। भिक्खुनी संघ की

स्थापना। आवश्यकतानुसार समय-समय पर भिक्खु-भिक्खुनियों के लिए विनय के नियम बनते थे, जिसका संग्रह विनयपिटक में है। भिक्खु एवं भिक्खुनियों के अधिकारों में समानता से संबंधित भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। विनयपिटक में वर्णित आठ गुरु धम्म इसी भ्रममूलक अवधारणा का हिस्सा है। अब समय की मांग है कि इस भ्रम मूलक विनय-नियमों की समीक्षा की जाए। महाप्रजापति गौतमी के साथ अन्य 500 शाक्य महिलाएँ थीं जिन्होंने 8 गुरुधम्म को स्वीकार किया (विनयपिटक, 516-17) लेकिन बाद में प्रजापति गौतमी एक वर मांगती है- भगवान भिक्खु एवं भिक्खुनी में परस्पर उपसम्पदा के अनुसार अभिवादन करने की अनुमति दे दें।[11]

इससे मालूम होता है कि महाप्रजापति गौतमी इस नियम से सहमत नहीं थीं जो 100 वर्ष की उपसम्पन्न भिक्खुनी को नए उपसम्पन्न भिक्खु को उठकर अभिवादन करने का आदेश देता है। वे इसके विरुद्ध बराबरी की मांग करती हैं भिक्खु और भिक्खुनी परस्पर एक-दूसरे का अभिवादन करें तथा इसमें उपसम्पदा का भी ख्याल रखा जाए। यह बात उचित एवं तार्किक प्रतीत होती है।

भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के सम्बंध में विनयपिटक में रोचक तथ्य वर्णित हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात् भिक्षुणियाँ किसी एकान्त छायादार कोने में बैठकर ध्यान करती थीं। भिक्षुणियाँ आध्यात्मिक मनन चिंतन में कभी भी पीछे नहीं रहती थीं। थेरीगाथा जो कि भिक्षुणियों का प्रमुख काव्यात्मक ग्रंथ हैं, में लगभग सभी भिक्षुणियों के मार के साथ संघर्ष एवं उनके विजय का मार्मिक चित्रण वर्णित हैं। संयुक्त निकाय में भी अनेक भिक्षुणियों का मार से संघर्ष एवं उस पर विजय का उल्लेख है।[12] अपने दैनिक जीवन के एक बड़े भाग में भिक्षुणियाँ नवीन भिक्षुणियाँ को निर्देश देती थीं तथा धर्म एवं विनय का शिक्षण करती थीं। भिक्षुणियों की वरीयता उनके ज्ञान और उनकी पारलौकिक शक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती थी। प्रवज्या ग्रहण करने के दो वर्ज़ों के उपरान्त उन्हें उपसम्पदा प्रदान की जाती थी। उन्हें संघ के सभी धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। संघ में सभी वर्गों की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित कर लिया जाता था, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उनके प्रवेश पर पाबन्दी लगी हुई थी। जहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है सिद्धांतत: विहार-व्यवस्था महिलाओं के लिए आमतौर पर परिमोचक था। प्राय: महिलाओं के लिए उनका विहार-जीवन आमतौर पर पुरुषों को उपलब्ध आत्मनिर्णय एवं प्रतिष्ठा के लगभग बराबर था। लेकिन इनकी अपनी कई समस्याएँ थीं क्योंकि महिला संघ पुरुषों की मठीय व्यवस्था की अपेक्षा बहुत ही कम सफल रहा। भिक्षुणियों के रूप में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम आर्थिक सहयोग एवं प्रतिष्ठा मिले तथा धार्मिक अनुष्ठान और अध्ययन का भी बहुत ही कम अवसर प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष:

उल्लेखनीय है कि परम्परागत रूप से जो भी सीमाएँ महिलाओं पर थोपी गई हों, उन्हें न तो बौद्ध रीति-रिवाज से किसी भी रूप से अलग रखा जा सकता था और न ही अंतिम लक्ष्य अर्थात् निर्वाण प्राप्त करने से रोका जा सकता था। सामाजिक रूप से उग्र होते हुए भी, यह स्थिति बुद्ध वचन के मूल दार्शनिक सिद्धांतों के बिल्कुल अनुकूल थी। यह इस मायने में एक क्रांतिकारी सफलता थी कि महिलाएँ मुक्ति की खोज में स्पष्ट रूप से शामिल थीं। दूसरे शब्दों में, बुद्ध और आनन्द जैसे उनके कुछ सहयोगियों का यह स्पष्ट मानना था कि जाति की तरह लिंग भी किसी व्यक्ति द्वारा दु:ख से छुटकारा पाने के बौद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा नहीं हो सकता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. ऋग्वेद, 10/95/15
2. ऋग्वेद, 8/33/17
3. ऋग्वेद, 8/33/19
4. विनयपिटक, चुलवग्ग अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, पृ०-624 सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008
5. वही, पृ०-626
6. वही, पृ०-648
7. बौद्ध संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन, पृ०-29
8. विनय पिटक, (अनु०) राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, 1935, पृ० 263 एवं बरूआ, डी० के०, वही, पृ० 338, 336-337
9. विनयपिटक, अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, पृ०-627
10. विनयपिटक, अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, पृ०-630
11. थेरीगाथा, अनुवाद डॉ० (प्रो० विमलकीर्ति), पृ०-19, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2008
12. संयुक्त निकाय (सं०) एल० फियर, एम० एवं रीज डेविड्स, पी०टी०एस०, लंदन,1884-1904, पृ० 128-133

❖❖❖